कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 4665 / Aligarh/13881/UP-134/2015, अलीगढः दिनांकः जून, 09 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/13 दिनांक 10.04.2023, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 3242/11सी– FP/UP/Approach/13881/2015 दि0 11.04.2023

महोदया,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण कर, निम्न प्रकार कर संशोधित अभिलेख–04 प्रतियों में संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

S.No.	Objection	Reply
1	The State Govt. needs to initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India. A report with full details of violation, authority responsible for violation etc. needs to be submitted by the State Government.	प्रकरण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु प्रयास न किये जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निम्न प्रकार कार्यवाही की गयी है। 1. श्री वेद प्रकाश, उप क्षेत्रींय वन अधिकारी–प्रकरण में उल्लंघन के सम्बन्ध में आख्या सक्षम अधिकारी को दण्ड हेतु प्रेषित। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक–1)** 2. श्री इन्द्रजीत सिंह, सेक्शन अधिकारी–सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक–2)** 3. श्री परसराम, माली–सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण में दण्ड पारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक–3)** वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध विभागीय एच–2 केस निर्गत किया गया है एवं इस सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं की विस्तृत आख्या संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

Abh

2	The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of violation as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशानिर्देशों के पैरा 1.21 (ii) के तहत उल्लंघन स्वरूप जितनी वनभूमि में उल्लंघन हुआ है उसके पांच (5) गुना दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा कराये जाने हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है। **(संलग्नक–5)**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

09/06/23

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 4665 /1410 दिनांकित

प्रतिलिपिः– डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सर ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ0प्र) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/06/23

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।